क्रम-संख्या–261

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०
डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 27 दिसम्बर, 2019

पौष 6, 1941 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग–1

संख्या 2243/79-वि-1–19-1(क)-16-19 .

लखनऊ, 27 दिसम्बर, 2019

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) विधेयक, 2019 जिससे गोपन अनुभाग-1 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 26 दिसम्बर, 2019 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19 सन् 2019 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) अधिनियम, 2019

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19 सन् 2019)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) अधिनियम, 2019 कहा जाएगा।

(2) यह 6 नवम्बर, 2019 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 1981 की धारा 3 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981 की धारा 3 में, उपधारा (3) निकाल दी जायेगी।

निरसन और व्यावृत्ति

3-(1) उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) अध्यादेश, 2019, एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 5 सन् 2019

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 1981), उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्रियों हेतु वेतन, भत्तों और अन्य सुविधाओं से संबंधित विधि को समेकित तथा संशोधित करने के लिए अधिनियमित किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) में यह उपबन्ध है कि प्रत्येक मंत्री, राज्य मंत्री तथा उप मंत्री के वेतन, तत्समय प्रवृत्त आयकर से संबंधित किसी विधि के अधीन ऐसे वेतन पर संदेय कर में सम्मिलित होंगे और ऐसा कर, राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। चूंकि आयकर का भुगतान, राज्य के, आयकर विधि की परिधि के अधीन आने वाले प्रत्येक नागरिक द्वारा किया जाता है, इसलिए उक्त मंत्रीगण भी आयकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे। इसके अतिरिक्त, उक्त मंत्रीगण के आयकर का भुगतान पिछले 35 वर्षों से राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा था। सम्यक् विचारोपरान्त यह विनिश्चय किया गया है कि धारा 3 की उपधारा (3) को हटाने के लिए उक्त अधिनियम में संशोधन किया जाय, जिससे कि उक्त मंत्रीगण आयकर का भुगतान करने का उत्तरदायित्व स्वयं ग्रहण कर सकें।

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उक्त विनिश्चय को लागू करने के लिए तत्काल विधायी कार्यवाही की जानी आवश्यक थी, अतएव राज्यपाल द्वारा उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 5 सन् 2019) दिनांक 06 नवम्बर, 2019 को प्रख्यापित किया गया।

2-तद्नुसार उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) विधेयक, 2019, पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
जे0 पी0 सिंह-II,
प्रमुख सचिव।